भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर – 474006

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of India, Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics
19, Mall Road, Morar,
Gwalior- 474006

☎(PBX) : (91) 751-2368996; FAX: (91) 751-2368111; E-MAIL: narcommr@cbn.nic.in

F.No. II(3)10/Estt./Insp. To Supdt./DOO/2023- 2299 | Dated: 10 October 2025

# आदेश संख्यां 46 / 2025
# Estt. Order No.46/2025

दिनांक 09.10.2025 को आयोजित अनुपूरक विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की अनुशंसा के अनुसार, अधीक्षक/DOO के पद पर इन-सीटू (in-situ) आधार पर पदोन्नति हेतु, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के निम्नलिखित निरीक्षकों को अधीक्षक/DOO (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर वेतन स्तर-8 (₹47,600 – ₹1,51,100) में दिनांक 10.10.2025 से अथवा उच्चतर पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, प्रभावी रूप से पदोन्नत किया जाता है।

As per the findings of supplementary DPC for the year 2025 for promotion to the post of Superintendent/DOO held in the office of Narcotics Commissioner on 09.10.2025, the following Inspectors of Central Bureau of Narcotics are hereby promoted to the grade of Superintendent/DOO (Group 'B' Gazetted) on "In-Situ" basis in the Pay Level-8 of pay matrix 47,600 – 1,51,100 with effect from 10.10.2025 or the date they assume charge of the higher post, whichever is later:-

| Serial Number | Name of the Officer (S/Sh) | अधिकारी का नाम (श्री / श्रीमती) |
|---|---|---|
| 1 | Atanu Chatterjee | अतानु चैटर्जी |
| 2 | Rajneesh Sharma | रजनीश शर्मा |
| 3 | Sandeepa Chatterjee | संदीपा चटर्जी |
| 4 | Sanjay Sharan | संजय शरण |
| 5 | Praveen Dhull | प्रवीण ढूल |
| 6 | Rohtash Kumar | रोहताष कुमार |
| 7 | Pankaj Kumar | पंकज कुमार |
| 8 | Pradeep Kumar Lore | प्रदीप कुमार लोर |
| 9 | Anurag Kumar | अनुराग कुमार |

उपरोक्त अधिकारी को यह सूचित किया जाता है कि:

The above official should note that:

(क) उनकी वरिष्ठता वर्ष 2025 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) द्वारा तैयार की गई पैनल सूची के आधार पर मानी जाएगी।

(A) Their seniority will be reckoned on the basis of panel drawn by DPC for Panel Year 2025.

(ख) डी.पी.सी. की रिपोर्ट श्री एच.के. दानवानी, निरीक्षक द्वारा दायर की गई ओ.ए. सं. 2651/2024 के परिणाम के अधीन है।

(द) वे अधिकारी जो वर्तमान में अन्य एजेंसियों/संरचनाओं/विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति पर या विभाग के बाहर अन्य एजेंसियों पर कार्यरत हैं, उनकी पदोन्नति **केवल तभी प्रभावी होगी जब वे तत्काल, परंतु इस आदेश की तिथि से अधिकतम 10 दिनों के भीतर, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में पुनः प्रतिनियुक्त होकर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।**

(H) The promotion of the officers who are currently posted on deputation to other agencies/formations or on loan basis to other agencies/formations outside the Department shall take effect only after they are repatriated to Central Bureau of Narcotics immediately and not later than 10 days from the date of this order for joining the promotional post.

(ध) वर्तमान में आदेशित की गई पदोन्नति इस शर्त के अधीन होगी कि अधिकारी इस आदेश की तिथि से **अधिकतम 10 दिनों के भीतर** पद ग्रहण करें। यदि अधिकारी निर्धारित अवधि में पद ग्रहण नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति **स्वीकार नहीं की है**, और पदोन्नति अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी प्रभाव **कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग** के परिपत्र संख्या **1/3/69-Estt(D) दिनांक 22-11-1975**, जिसे परिपत्र संख्या **22034/3/81-Estt(D) दिनांक 01-10-1981** तथा **22011/6/75-Estt(D) दिनांक 30-12-1976** द्वारा संशोधित किया गया है, के अनुसार लागू होंगे।

(I) The promotion ordered now is subject to the condition that the officers shall join latest within 10 days from the date of this order, failing which it will be treated that the officer has not accepted the promotion and all consequences arising as a result of non-acceptance of promotion in terms of DP& AR OM No. 1/3/69-Estt(D) dated 22-11-75 as amended by DP & AR OM No. 22034/3/81-Estt(D) dated 1.10.1981 and DP & AR OM No. 22011/6/75-Estt(D) dated 30.12.1976 shall follow:

(i) उन्हें **एक वर्ष की अवधि तक** या **अगली रिक्ति उत्पन्न होने तक**, जो भी बाद में हो, **कोई नया नियुक्ति प्रस्ताव** नहीं दिया जाएगा।

(i) No fresh offer of appointment shall be made to him/her for a period of one year or till a next vacancy arises whichever is later.

(ii) अंततः जब उन्हें अधीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाएगी, तो वे अपने उस कनिष्ठ अधिकारी के सापेक्ष, जिसे उनसे पहले पदोन्नति मिल चुकी है, **वरिष्ठता** का अधिकार **खो देंगे।**

(ii) On eventual promotion to the grade of Superintendent, he/she will lose seniority vis-à-vis his junior promoted earlier.

(iii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या **35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19.05.2009** के अनुसार, अधिकारी को तब तक **अगली वित्तीय उन्नयन** के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जब तक वह पुनः पदोन्नति के लिए विचार किए जाने पर सहमति नहीं देता/देती।

साथ ही, पदोन्नति अस्वीकार किए जाने के कारण **निषेध** की अवधि जितनी होगी, उतनी अवधि तक अगली वित्तीय उन्नयन भी **स्थगित** की जाएगी।

(iii) As per DOPT OM No. 35034/3/2008-Estt(D) dated 19.05.2009, the officer shall not be considered for further financial up-gradation till he/she agrees to be considered for promotion again and the next financial up-gradation shall also be differed to the extent of period of debarment due to refusal.

(B) Findings of the DPC is subject to outcome of OA No. 2651/2024 filed by Shri H. K. Danwani, Inspector.

(ग) डी.पी.सी. की रिपोर्ट श्री आर.के. चौधरी निरीक्षक द्वारा दायर किए गए ओ.ए. सं. 1297/2024 के निर्णय के अधीन भी हैं।

(C) Findings is also subject to the outcome of OA No. 1297/2024 filed by Shri R.K. Choudhary, Inspector.

(घ) जिस अधिकारी को एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ पहले ही पे मैट्रिक्स लेवल-8 तक दिया जा चुका है। उसे वेतन निर्धारण के लाभ का अधिकार नहीं होगा।

(D) The officer who have already been given the benefit of 1st/2nd/3rd financial upgradation under ACP/MACP scheme to the Pay Matrix Level 8 will not be entitled for the pay fixation benefit.

(ङ) उन्हें पदोन्नति की तिथि से एक माह के भीतर पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के संबंध में अपना विकल्प कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 13/02/2017-Estt.(Pay-I) दिनांक 27 जुलाई 2017 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। तथापि, जिन अधिकारियों को एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है, उनका वेतन निर्धारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/1/97-Estt.(D) दिनांक 09.08.1999 के परिशिष्ट के पैरा 9 में निहित प्रावधानों तथा एमएसीपी के लिए कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-Estt.(D) दिनांक 19.05.2009 में निहित प्रावधानों [ FR 22(1)(a)(I) ] के अनुसार किया जाएगा।

(E) They are required to submit within one month of promotion, their option of fixation of pay on promotion as per DoP&T's O.M.No. 13/02/2017-Estt.(pay-I) dated 27th July 2017. However, where the officials have been granted benefit of financial up-gradation under the ACP/MACP Scheme, their pay would be fixed in accordance with the provision contained in Para 9 of Annexure to DoPT's O.M. No.35034/1/97-Estt.(D) dated 09.08.1999 and for MACP, provisions contained in DoPT's O.M.no.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.05.2009 respectively under the provisions of FR 22(1)(a)(I).

(त) संबंधित इकाई के उप आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित किसी भी अधिकारी को निलंबित किया गया है या उसके विरुद्ध कोई आरोपपत्र या अभियोजन लंबित है, तो उसे अधीक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति **न दी जाए**, तथा इस तथ्य की सूचना **तत्काल इस कार्यालय को भेजी जाए।**

(F) The concerned Unit Dy. Commissioner shall ensure that if any of the officers whose name has figured in the table above is under suspension or facing any charge sheet or prosecution, he/she should not be allowed to assume charge of post of Superintendent and this fact should be reported to this office immediately.

(थ) इन-सीटू (in-situ) आधार पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों की पदस्थापनाएँ **अस्थायी** हैं। उपरोक्त पदोन्नतियाँ उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर बनाए रखने का कोई अधिकार **प्रदान नहीं करती हैं।**

(G) The posting of the officers promoted on in-situ basis is provisional. The above promotions do not confer any right upon them to be retained at their present place of posting.

यह आदेश भारत के नारकोटिक्स आयुक्त की स्वीकृति से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Narcotics Commissioner of India.

(मनोज कुमार)/(Manoj Kumar)
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त/Assistant Narcotics Commissioner,
कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर/ O/o NC, Gwalior.

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित:-
Copy to the following for information and necessary action: -

1. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं ऐल्कलॉइड कारखाने, नई दिल्ली।
   Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, New Delhi.
2. उप नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर/नीमच/कोटा/लखनऊ।
   Deputy Narcotics Commissioner, Gwalior/Neemuch/Kota/Lucknow.
3. महाप्रबंधक, सरकारी अफीम एवं ऐल्कलॉइड कारखाना, गाजीपुर/नीमच।
   General Manager, Government Opium and Alkaloid Factory, Gazipur/Neemuch.
4. नारकोटिक्स आयुक्त के निजी सचिव, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर।
   PS to the Narcotics Commissioner, CBN, Gwalior
5. उप नारकोटिक्स आयुक्त एवं सहायक नारकोटिक्स आयुक्त के निजी सहायक, सी. बी. एन., ग्वालियर।
   PA to DNC and ANC, CBN, Gwalior.
6. अधीक्षक, प्रवर्तक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, नई दिल्ली।
   Superintendent, Preventive and Intelligence Cell, New Delhi.
7. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर।
   Pay and Account Officer, Central Bureau of Narcotics, Gwalior.
8. अनुभाग अधीक्षक: सतर्कता / अफीम / प्रवर्तन / नारकोटिक्स / तकनीकी / प्रीकर्सर / स्थापना / प्रशासन / ऑनलाइन / लेखा / वेतन प्रपत्र / हिंदी, उप नारकोटिक्स आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर।
   Section Superintendent: Vigilance/ Opium/ Preventive/ Narcotics/ Technical/ Precursor/ Establishment/Administration/ Online/ Accounts/ Pay bill/Hindi, O/o DNC, Gwalior
9. (S/Sh) Atanu Chatterjee/Rajneesh Sharma/Sandeepa Chatterjee/Sanjay Sharan/Praveen Dhull/ Rohtash Kumar/Pankaj Kumar/Pradeep Kumar Lore/Anuraj Kumar.
   (श्री/श्रीमती) अतानु चैटर्जी/ रजनीश शर्मा/संदीपा चैटर्जी/संजय शरण/प्रवीण ढूल/रोहताष कुमार/पंकज कुमार/प्रदीप कुमार लोर/अनुराग कुमार।
10. गार्ड फाइल / वेबसाइट।
    Guard File/Website.

(मनोज कुमार)/(Manoj Kumar)
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त/Assistant Narcotics Commissioner,
कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर/ O/o NC, Gwalior.

| भारत सरकार<br>वित्त मंत्रालय<br>केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो<br>19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर – 474006 | सत्यमेव जयते | Government of India<br>Ministry of India,<br>Department of Revenue<br>Central Bureau of Narcotics<br>19, Mall Road, Morar, Gwalior- 474006 |
|---|---|---|

☎(PBX) : (91) 751-2368996; FAX: (91) 751-2368111; E-MAIL: narcommr@cbn.nic.in


F.No. II(3)10/Estt./Insp. To Supdt./DOO/2023- 2300 | Dated: 10 October, 2025

# आदेश संख्यां 47 / 2025

# Estt. Order No. 47 / 2025

दिनांक 09.10.2025 को आयोजित अनुपूरक विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की अनुशंसा के अनुसार, निरीक्षक पद से अधीक्षक/DOO पद पर Ad-hoc पदोन्नति हेतु, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के निम्नलिखित अधिकारी को अधीक्षक/DOO (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर वेतन स्तर-8 (₹47,600 – ₹1,51,100) में दिनांक 10.10.2025 से अथवा उच्चतर पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, प्रभावी रूप से पदोन्नत किया जाता है:

As per findings of Supplementary DPC for the year 2025 for promotion from the post of Inspector to the post of Superintendent/DOO held in the office of Narcotics Commissioner on 09.10.2025, the following Inspector of Central Bureau of Narcotics is hereby promoted on **Ad-hoc basis** to the grade of Superintendent/DOO (Group 'B' Gazetted) in the Pay Level-8 of pay matrix 47,600 – 1,51,100 with effect from 10.10.2025 or the date when he assumes the charge of higher post, whichever is later: -

| S.No. | Name of the Officer | Date of Ad-hoc Promotion |
|---|---|---|
| 1 | श्री रोहित चिकारा<br>Shri Rohit Chhikara | 10.10.2025 |

1. उपरोक्त अधिकारी को यह सूचित किया जाता है कि:

The above official should note that:

(क) उनकी वरिष्ठता वर्ष 2025 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) द्वारा तैयार की गई पैनल सूची के आधार पर मानी जाएगी।

(A) Their seniority will be reckoned on the basis of panel drawn by DPC for Panel Year 2025.

(ख) डी.पी.सी. की रिपोर्ट श्री एच.के. दानवानी, निरीक्षक द्वारा दायर की गई ओ.ए. सं. 2651/2024 के परिणाम के अधीन है।

(B) Findings of the DPC is subject to outcome of OA No. 2651/2024 filed by Shri H. K. Danwani, Inspector.

(ग) डी.पी.सी. की रिपोर्ट श्री आर.के. चौधरी निरीक्षक द्वारा दायर किए गए ओ.ए. सं. 1297/2024 के निर्णय के अधीन भी हैं।

(C) Findings is also subject to the outcome of OA No. 1297/2024 filed by Shri R.K. Choudhary, Inspector.

(घ) जिस अधिकारी को एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ पहले ही पे मैट्रिक्स लेवल-8 तक दिया जा चुका है। उसे वेतन निर्धारण के लाभ का अधिकार नहीं होगा।

(D) The officer who have already been given the benefit of $1^{st}/2^{nd}/3^{rd}$ financial upgradation under ACP/MACP scheme to the Pay Matrix Level 8 will not be entitled for the pay fixation benefit.

(ङ) उन्हें पदोन्नति की तिथि से एक माह के भीतर पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के संबंध में अपना विकल्प कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 13/02/2017-Estt.(Pay-I) दिनांक 27 जुलाई 2017 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। तथापि, जिन अधिकारियों को एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है, उनका वेतन निर्धारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/1/97-Estt.(D) दिनांक 09.08.1999 के परिशिष्ट के पैरा 9 में निहित प्रावधानों तथा एमएसीपी के लिए कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-Estt.(D) दिनांक 19.05.2009 में निहित प्रावधानों [ FR 22(1)(a)(I) ] के अनुसार किया जाएगा।

(E) They are required to submit within one month of promotion, their option of fixation of pay on promotion as per DoP&T's O.M.No. 13/02/2017-Estt.(pay-I) dated 27th July 2017. However, where the officials have been granted benefit of financial up-gradation under the ACP/MACP Scheme, their pay would be fixed in accordance with the provision contained in Para 9 of Annexure to DoPT's O.M. No.35034/1/97-Estt.(D) dated 09.08.1999 and for MACP, provisions contained in DoPT's O.M.no.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.05.2009 respectively under the provisions of FR 22(1)(a)(I).

(त) संबंधित इकाई के उप आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित किसी भी अधिकारी को निलंबित किया गया है या उसके विरुद्ध कोई आरोपपत्र या अभियोजन लंबित है, तो उसे अधीक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति **न दी जाए**, तथा इस तथ्य की सूचना **तत्काल इस कार्यालय को भेजी जाए।**

(F) The concerned Unit Dy. Commissioner shall ensure that if any of the officers whose name has figured in the table above is under suspension or facing any charge sheet or prosecution, he/she should not be allowed to assume charge of post of Superintendent and this fact should be reported to this office immediately.

(थ) इन-सीटू (in-situ) आधार पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों की पदस्थापनाएँ **अस्थायी** हैं। उपरोक्त पदोन्नतियाँ उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर बनाए रखने का कोई अधिकार **प्रदान नहीं करती हैं।**

(G) The posting of the officers promoted on in-situ basis is provisional. The above promotions do not confer any right upon them to be retained at their present place of posting.

(द) वे अधिकारी जो वर्तमान में अन्य एजेंसियों/संरचनाओं/विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति पर या विभाग के बाहर अन्य एजेंसियों पर कार्यरत हैं, उनकी पदोन्नति **केवल तभी प्रभावी होगी जब वे तत्काल, परंतु इस आदेश की तिथि से अधिकतम 10 दिनों के भीतर, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में पुनः प्रतिनियुक्त होकर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।**

(H) The promotion of the officers who are currently posted on deputation to other agencies/formations or on loan basis to other agencies/formations outside the Department shall take effect only after they are repatriated to Central Bureau of Narcotics immediately and not later than 10 days from the date of this order for joining the promotional post.

(ध) वर्तमान में आदेशित की गई पदोन्नति इस शर्त के अधीन होगी कि अधिकारी इस आदेश की तिथि से **अधिकतम 10 दिनों के भीतर** पद ग्रहण करें। यदि अधिकारी निर्धारित अवधि में पद ग्रहण नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति **स्वीकार नहीं की है**, और पदोन्नति अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी प्रभाव **कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग** के परिपत्र संख्या **1/3/69-Estt(D) दिनांक 22-11-1975**, जिसे परिपत्र संख्या **22034/3/81-Estt(D) दिनांक 01-10-1981** तथा **22011/6/75-Estt(D) दिनांक 30-12-1976** द्वारा संशोधित किया गया है, के अनुसार लागू होंगे।

(I) The promotion ordered now is subject to the condition that the officers shall join latest within 10 days from the date of this order, failing which it will be treated that the officer has not accepted the promotion and all consequences arising as a result of non-acceptance of promotion in terms of DP& AR OM No. 1/3/69-Estt(D) dated 22-11-75 as amended by DP & AR OM No. 22034/3/81-Estt(D) dated 1.10.1981 and DP & AR OM No. 22011/6/75-Estt(D) dated 30.12.1976 shall follow:

(i) उन्हें **एक वर्ष की अवधि तक** या **अगली रिक्ति उत्पन्न होने तक**, जो भी बाद में हो, **कोई नया नियुक्ति प्रस्ताव** नहीं दिया जाएगा।

(i) No fresh offer of appointment shall be made to him/her for a period of one year or till a next vacancy arises whichever is later.

(ii) अंततः जब उन्हें अधीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाएगी, तो वे अपने उस कनिष्ठ अधिकारी के सापेक्ष, जिसे उनसे पहले पदोन्नति मिल चुकी है, **वरिष्ठता** का अधिकार **खो देंगे।**

(ii) On eventual promotion to the grade of Superintendent, he/she will lose seniority vis-à-vis his junior promoted earlier.

(iii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या **35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19.05.2009** के अनुसार, अधिकारी को तब तक **अगली वित्तीय उन्नयन** के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जब तक वह पुनः पदोन्नति के लिए विचार किए जाने पर सहमति नहीं देता/देती।

साथ ही, पदोन्नति अस्वीकार किए जाने के कारण **निषेध** की अवधि जितनी होगी, उतनी अवधि तक अगली वित्तीय उन्नयन भी **स्थगित** की जाएगी।

(iii) As per DOPT OM No. 35034/3/2008-Estt(D) dated 19.05.2009, the officer shall not be considered for further financial up-gradation till he/she agrees to be considered for promotion again and the next financial up-gradation shall also be differed to the extent of period of debarment due to refusal.

2. उपरोक्त अधिकारियों के संबंध में उच्च पद पर पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी मानी जाएगी जिस तिथि को वे उच्चतर पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

The promotion, in the higher grade, in respect of above officials shall take effect from the date they take over the charge of the higher post.

यह आदेश भारत के नारकोटिक्स आयुक्त की स्वीकृति से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Narcotics Commissioner of India.

10/10/25

(मनोज कुमार)/(Manoj Kumar)
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त/Assistant Narcotics Commissioner,
कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर/ O/o NC, Gwalior.

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित:-
Copy to the following for information and necessary action: -

1. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं ऐल्कलॉइड कारखाने, नई दिल्ली।
   Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories, New Delhi.

2. उप नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर/नीमच/कोटा/लखनऊ।

Deputy Narcotics Commissioner, Gwalior/Neemuch/Kota/Lucknow.

3. महाप्रबंधक, सरकारी अफीम एवं ऐल्कलॉइड कारखाना, गाजीपुर/नीमच।

General Manager, Government Opium and Alkaloid Factory, Gazipur/Neemuch.

4. नारकोटिक्स आयुक्त के निजी सचिव, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर।

PS to the Narcotics Commissioner, CBN, Gwalior

5. उप नारकोटिक्स आयुक्त एवं सहायक नारकोटिक्स आयुक्त के निजी सहायक, सी. बी. एन., ग्वालियर।

PA to DNC and ANC, CBN, Gwalior.

6. अधीक्षक, प्रवर्तक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, नई दिल्ली।

Superintendent, Preventive and Intelligence Cell, New Delhi.

7. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर।

Pay and Account Officer, Central Bureau of Narcotics, Gwalior.

8. अनुभाग अधीक्षक: सतर्कता / अफीम / प्रवर्तन / नारकोटिक्स / तकनीकी / प्रीकर्सर / स्थापना / प्रशासन / ऑनलाइन / लेखा / वेतन प्रपत्र / हिंदी, उप नारकोटिक्स आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर।

Section Superintendent: Vigilance/ Opium/ Preventive/ Narcotics/ Technical/ Precursor/ Establishment/Administration/ Online/ Accounts/ Pay bill/Hindi, O/o DNC, Gwalior

9. श्री रोहित चिकारा

Shri Rohit Chhikara

10. गार्ड फाइल / वेबसाइट।

Guard File/Website.

(मनोज कुमार)/(Manoj Kumar)

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त/Assistant Narcotics Commissioner,

कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर/ O/o NC, Gwalior.